(35)

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बौला से श्रीकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.280 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे0 कुल भूमि 0.320 हे0 लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बौला से श्रीकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कि0मी0 0.00 से 0.875 कि0मी0 में वन पंचायत भूमि 0.280 हे0 एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे0 भूमि हेतु जो संरेखण किया गया हे उस वन पंचायत भूमि में उसमें हमारी ग्रामसभा को कोई आपत्ति नहीं है। अतः मार्ग का निर्माण शीघ्र किया जाय।

प्रधान ग्राम पंचायत बौला

ह0 Neelam

दि0 19-1-14

ग्राम प्रधान / सदस्य

मुहर सहित

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बौला से श्रीकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.280 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.040 हे0 कुल भूमि 0.320 हे0 लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–श्रीकोट
तहसील–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत **बौला से श्रीकोट मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु (वन पंचायत भूमि **0.280** हे0) एवं मक डिस्पोजल हेतु **0.040 हे0,** अर्थात कुल **0.320 हे0** वन पंचायत भूमि का **लोक निर्माण विभाग गौचर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **श्रीकोट** द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि काय है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम श्रीकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **0.320 हे0** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/–
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित